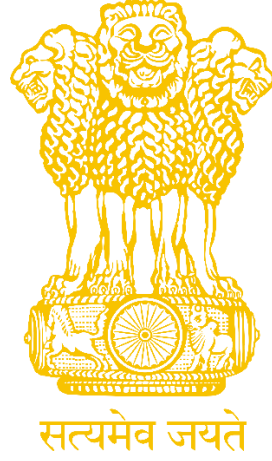


डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 08/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

**कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि (सीओके) में तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 – 31.03.2026)
के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में**

जारी करने की तारीख : 24 अगस्त, 2021

**ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003**

अध्याय-16 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों का सार नीचे दिया गया है:

16.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि का टूअप

- 16.1.1 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए पैरा 4.3.11 (तालिका 7) में दिए गए विवरण के अनुसार वास्तविक यात्री, एटीएम और कार्गो यातायात को मानने का निर्णय लेता है।
- 16.1.2 प्राधिकरण सीआईएएल के लिए वित्त वर्ष 2017 से 2020 के लिए परिसंपत्तियों के वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन पर किए गए अध्ययन द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार परिसंपत्तियों के पूंजीगत परिवर्द्धनों और वैमानिक आबंटन को मानने का निर्णय लेता है (अध्ययन का सार इस टैरिफ आदेश के संलग्नक-2 के रूप में संलग्न है, विस्तृत रिपोर्ट ऐरा की वेबसाइट पर टैरिफ आदेश के साथ उपलब्ध है)। प्राधिकरण वास्तविक आंकड़ों (उस स्तर पर वास्तविक डेटा उपलब्ध न होने के कारण परामर्शपत्र में माने गए अनुमानों की तुलना में) के आधार पर और परिसंपत्तियों के वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन संबंधी अध्ययन में निर्धारित सिद्धांतों (देखें पैरा 4.4.36 और 4.4.59) के अनुरूप वित्त वर्ष 2021 के लिए वैमानिक पूंजीगत परिवर्द्धनों और सेवानिवृत्तियों को मानने का निर्णय लेता है।
- 16.1.3 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए पैरा 4.4.61 (तालिका 22) में दिए गए विवरण के अनुसार आरएबी को मानने का निर्णय लेता है।
- 16.1.4 प्राधिकरण परिसंपत्तियों के वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन संबंधी अध्ययन द्वारा सिफारिश किए अनुसार सकल ब्लाक के आबंटन को ध्यान में रखकर हवाईअड्डा परिसंपत्तियों के उपयोग के जीवनकाल का निर्धारण करने और मूल्यहास का पुनः परिकलन करने संबंधी ऐरा के दिनांक 12 जनवरी, 2018 के आदेश संख्या 35/2017-18 के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोग के जीवनकाल में संशोधन करने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 4.5.21)।
- 16.1.5 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए पैरा 4.5.24 (तालिका 30) में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक मूल्यहास को मानने का निर्णय लेता है।
- 16.1.6 प्राधिकरण लौटाने योग्य प्रतिभूति जमा पर ऋण की लागत के समतुल्य प्रतिलाभ प्रदान करने और 14% इक्विटी की लागत को मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 4.6.23)।
- 16.1.7 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए पैरा 4.6.25 (तालिका 38) में दिए गए विवरण के अनुसार एफआरओआर को मानने का निर्णय लेता है।
- 16.1.8 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि में भूमि की लागत पर कोई भी प्रतिलाभ न देने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 4.7.7)।

16.1.9 प्रचालन खर्च

- 16.1.9.1 प्राधिकरण वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के अंतर्गत बाढ़ कम करने संबंधी खर्च को मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 4.8.45)।
- 16.1.9.2 प्राधिकरण कार्यशील पूंजी के ब्याज को प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के अंतर्गत मानने और इसे सकल अचल परिसंपत्ति अनुपात में आबंटित करने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 4.8.35)।
- 16.1.9.3 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन खर्च के टूअप के लिए औसत वैमानिक निवल लाभ के आधार पर सीएसआर खर्च को मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 4.8.47)।
- 16.1.9.4 प्राधिकरण बाढ़ कम करने संबंधी खर्चों और सीएसआर खर्चों के लिए समायोजित कार्यक्षम प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चों संबंधी अध्ययन द्वारा सुझाव दिए अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चों को मानने और वित्त वर्ष 2017-2020 के लिए इनका आबंटन करने का निर्णय लेता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण वास्तविक आंकड़ों (उस स्तर पर वास्तविक डेटा उपलब्ध न होने के कारण परामर्श पत्र में माने गए अनुमानों की तुलना में) के आधार पर और कार्यक्षम प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चों (बाढ़ कम करने और सीएसआर खर्चों के लिए समायोजित) संबंधी अध्ययन में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप वित्त वर्ष 2021 के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानने का निर्णय लेता है।
- 16.1.9.5 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए पैरा 4.8.49 (तालिका 50) में दिए गए विवरण के अनुसार प्रचालन खर्च को मानने का निर्णय लेता है।

16.1.10 राजस्व

- 16.1.10.1 प्राधिकरण एयरलाइनों को दिए गए स्थान से प्राप्त होने वाले किरायों और ग्राउंड हैंडलिंग जैसी वैमानिक सेवाओं से संबंधित एजेंसियों से प्राप्त होने वाले भूमि पट्टा किरायों को वैमानिक राजस्व के रूप में मानते रहने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 4.9.47)।
- 16.1.10.2 प्राधिकरण सीडीआरएसएल द्वारा अदा की गई वास्तविक रॉयल्टी और किरायों को सीआईएएल के निःशुल्क राजस्व के रूप में मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 4.9.46)।
- 16.1.10.3 प्राधिकरण तटरक्षक और नौसेना द्वारा अदा किए गए भूमि पट्टा किरायों को गैर-वैमानिक राजस्व मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 4.9.48)।
- 16.1.10.4 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए पैरा 4.9.51 (तालिका 58) में दिए गए विवरण के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानने का निर्णय लेता है।
- 16.1.10.5 प्राधिकरण सहायक संगठनों से प्राप्त पट्टा किरायों को वैमानिक राजस्व मानने का निर्णय लेता है। (देखें पैरा 4.10.14)।
- 16.1.10.6 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए पैरा 4.10.23 (तालिका 64) में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानने का निर्णय लेता है।
- 16.1.10.7 प्राधिकरण पैरा 4.11.5 में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक कर निर्धारण के लिए वैमानिक राजस्व आधार के भाग के रूप में 30% गैर-वैमानिक राजस्व को मानने का निर्णय लेता है।
- 16.1.11 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए पैरा 4.11.9 (तालिका 67) में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक कर को मानने का निर्णय लेता है।
- 16.1.12 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए पैरा 4.12.7 (तालिका 70) में दिए गए विवरण के अनुसार एआरआर को मानने का निर्णय लेता है और हवाईअड्डा प्रचालक को अगली नियंत्रण अवधि में 286.32 करोड़ रुपये की कमी की पूर्ति करने की अनुमति देता है।

16.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

- 16.2.1 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात का निर्धारण करने के लिए पैरा 5.2.18 (तालिका 82) में बताए अनुसार यातायात अनुमानों को मानने का निर्णय लेता है।
- 16.2.2 प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए यातायात का निर्धारण करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आधारित तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात को टूअप करने का निर्णय लेता है।

16.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार और मूल्यहास

- 16.3.1 प्राधिकरण विनियामक और सेतु (बाढ़ नियंत्रण उपाय) के लिए 41.73 करोड़ रुपये की लागत को वैमानिक पूंजीगत व्यय के रूप में मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 6.5.4)।
- 16.3.2 प्राधिकरण पैरा 6.5.10 (तालिका 134) में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय को मानने और औचित्य का अध्ययन करने तथा वास्तव में व्यय की गई राशि की समीक्षा करने एवं द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए किए गए परिसंपत्तियों के वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन संबंधी अध्ययन (अध्ययन का सार इस टैरिफ आदेश के संलग्नक-2 के रूप में संलग्न है, विस्तृत रिपोर्ट टैरिफ आदेश के साथ ऐरा की वेबसाइट पर उपलब्ध है) द्वारा उपलब्ध किए गए वृहत ढांचे पर आधारित पूंजीगत परिवर्द्धनों के वैमानिक और गैर-वैमानिक में पंक्ति दर पंक्ति वर्गीकरण के बाद वास्तविक आंकड़ों के आधार पर इसे टूअप करने का निर्णय लेता है।
- 16.3.3 प्राधिकरण प्रस्तावित समय-सीमा के अनुसार परियोजनाएं पूर्ण न होने की स्थिति में 1% तक परियोजना लागत और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय एआरआर/लक्ष्य राजस्व में लागू रखाव लागत को पुनः समायोजित करने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 6.2.64)।
- 16.3.4 प्राधिकरण हवाईअड्डा परिसंपत्तियों के उपयोग संबंधी जीवनकाल से संबंधित ऐरा के दिनांक 12 जनवरी, 2018 के आदेश संख्या 35/2017-18 के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोग संबंधी जीवन काल में संशोधन करने और पैरा 6.5.13 (तालिका 135) में बताए अनुसार वैमानिक मूल्यहास को मानने का निर्णय लेता है।
- 16.3.5 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण करने के लिए पैरा 6.5.14 (तालिका 136) में बताए अनुसार आरएबी को मानने का निर्णय लेता है।

16.3.6 प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय पर्याप्त औचित्य और कार्यकुशलता की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों पर आधारित आरएबी और मूल्यहास को टूअप करने का निर्णय लेता है।

16.4 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

16.4.1 प्राधिकरण सीआईएएल की पूंजी की लागत के निर्धारकों संबंधी अध्ययन द्वारा संस्तुत किए अनुसार 15.16% ईक्विटी की लागत को मानने का निर्णय लेता (देखें पैरा 7.2.4)।

16.4.2 प्राधिकरण सीआईएएल द्वारा प्रस्तुत की गई 7.8% ऋण की लागत को मानने और अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसे वास्तविक आंकड़ों के आधार पर टूअप करने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 7.2.2)।

16.4.3 प्राधिकरण सीआईएएल के पूंजी की लागत के निर्धारकों संबंधी अध्ययन द्वारा संस्तुत किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 48% : 52% के राष्ट्रीय ऋण ईक्विटी अनुपात को मानने का निर्णय लेता। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के दौरान कल्पित ऋण ईक्विटी अनुपात को टूअप न करने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 7.5.1)।

16.4.4 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर निकालने के लिए कल्पित ऋण के भाग के रूप में आरएसडी को मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 7.5.3)।

16.4.5 प्राधिकरण ऊपर उल्लिखित ऋण की लागत, ईक्विटी की लागत और कल्पित ऋण ईक्विटी अनुपात के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पैरा 7.2.9 (तालिका 142) में बताए अनुसार प्रतिलाभ की उचित दर को मानने का निर्णय लेता है।

16.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए भूमि पर प्रतिलाभ

16.5.1 प्राधिकरण सीआईएएल द्वारा प्रस्तुत भूमि की कुल लागत को मानने का निर्णय लेता है। (देखें पैरा 8.2.6)।

16.5.2 प्राधिकरण आईओसीएल खुदरा केन्द्र को पट्टे पर दी गई भूमि को गैर-वैमानिक रूप में मानने का निर्णय लेता है। (देखें पैरा 8.2.8)।

16.5.3 प्राधिकरण भावी उपयोग के लिए चिह्नित भूमि की लागत पर तब तक प्रतिलाभ नहीं देने का निर्णय देता है जब तक यह भूमि उपयोग में न आ जाए (देखें पैरा 8.5.1)।

16.5.4 प्राधिकरण भूमि की लागत पर प्रतिलाभ के परिकलन में पुनर्वास के लिए आरक्षित भूमि को न मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 8.2.10)।

16.5.5 प्राधिकरण टर्मिनल आबंटन अनुपात में टर्मिनल भवनों और संबद्ध क्षेत्रों के लिए भूमि संविभाजित करने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 8.2.11)।

16.5.6 प्राधिकरण पैरा 8.2.13 (तालिका 145) में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए भूमि पर प्रतिलाभ को मानने और भावी विस्तार के लिए चिह्नित भूमि संबंधी परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के वास्तविक वर्ष के आधार पर इसे टूअप करने का निर्णय लेता है।

16.6 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन खर्च

16.6.1 प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सीआईएएल के कार्यक्षम प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चों पर किए गए अध्ययन में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर लागतों के आबंटन को मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 9.2.23)।

16.6.2 प्राधिकरण उपयोगिता लागत के अनुमान के लिए वित्त वर्ष 2026 में संविदा मांग प्रभागों और केवल केएसईबी की यूनिट दरों में 10% वृद्धि को मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 9.2.9)।

16.6.3 प्राधिकरण बाढ़ कम करने संबंधी खर्चों को वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चों के अंतर्गत मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 9.5.1)।

16.6.4 प्राधिकरण उपयुक्त सीएसआर खर्चों (वैमानिक निवल लाभ पर आधारित) को तृतीय नियंत्रण अवधि के वैमानिक प्रचालन खर्चों के अंतर्गत मानने और इन्हें वास्तविक वैमानिक लाभ तथा खर्चों एवं पारिणामिक उपयुक्तता के आधार पर टूअप करने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 9.5.2)।

16.6.5 प्राधिकरण कार्यशील पूंजीगत ब्याज को प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चों के अंतर्गत मानने तथा इन्हें सकल अचल परिसंपत्ति अनुपात में आबंटित करने का निर्णय लेता है। (देखें पैरा 9.2.26)।

16.6.6 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पैरा 9.5.6 (तालिका 170) में बताए अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चों को मानने तथा वहन की गई वास्तविक लागतों के कार्यक्षम होने की शर्त पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय इसे वास्तविक राशियों के आधार पर टूअप करने का निर्णय लेता है।

16.7 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

16.7.1 प्राधिकरण एयरलाइन को दिए गए स्थान से होने वाले किरायों और ग्राउंड हैंडलिंग जैसी वैमानिक सेवाओं से संबंधित एजेंसियों से होने वाले भूमि पट्टा किरायों को वैमानिक राजस्व के रूप में मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 10.5.2)।

16.7.2 प्राधिकरण सीडीआरएसएल द्वारा अदा की गई संविदात्मक रॉयल्टी और किरायों को सीआईएएल के निःशुल्क राजस्व के रूप में मानने और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तथा चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय यथोचित अध्यवसाय के बाद इन्हें टूअप करने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 10.5.1)।

16.7.3 प्राधिकरण तटरक्षक और नौसेना द्वारा अदा किए गए पट्टा किरायों को गैर-वैमानिक राजस्व के रूप में मानने का निर्णय लेता है (देखें पैरा 10.5.3)।

16.7.4 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए पैरा 10.5.7 (तालिका 182) में दिए गए विवरण के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानने का निर्णय लेता है।

16.7.5 प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को टूअप करने का निर्णय लेता है।

16.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

16.8.1 प्राधिकरण पैरा 11.2.4 में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक कर निर्धारण के लिए वैमानिक राजस्व आधार के भाग के रूप में 30% गैर-वैमानिक राजस्व को न मानने का निर्णय लेता है।

16.8.2 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पैरा 11.4.1 (तालिका 185) में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक कर को मानने और चतुर्थ नियंत्रण अवधि को मानने के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर इसे टूअप करने का निर्णय लेता है।

16.9 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

16.9.1 प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वृहत आर्थिक संकेतकों संबंधी व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के 69वें राउंड के आरबीआई के सर्वेक्षण के आधार पर 4.9% डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति को मानने का निर्णय लेता है। (देखें पैरा 12.4.1)।

16.10 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

16.10.1 प्राधिकरण सेवा की गुणवत्ता के कारण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लक्ष्य से किसी भी समायोजन को न मानने का निर्णय लेता है और यह नोट करता है कि यह सीआईएएल द्वारा प्राप्त एसक्यू रेटिंग पर आधारित सेवा के गुणवत्ता पैरामीटरों की समीक्षा करना जारी रखेगा (देखें पैरा 13.2.5)।

16.11 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

16.11.1 प्राधिकरण पैरा 14.5.13 तालिका (191) में दिए गए विवरण के अनुसार सीआईएएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए उपयुक्त एआरआर को मानने का निर्णय लेता है।

16.11.2 प्राधिकरण सीआईएएल को तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप की शर्त पर 294.12 करोड़ रूपए की अपेक्षित कमी (31 मार्च, 2022 को) की पूर्ति चतुर्थ नियंत्रण अवधि में करने के लिए अनुमति देने का निर्णय लेता है।

अध्याय -17 आदेश

- 17.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्वारा आदेश के संलग्नक-I में दर्शाए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि में लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।
- 17.1.2 वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 17.1.3 यह टैरिफ आदेश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगा।
- 17.1.4 इसमें निर्धारित टैरिफ, करें, यदि कोई हो, को छोड़कर उच्चतम दें हैं।
- 17.1.5 सीआईएएल प्राधिकरण के विनियामक दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्रस्ताव प्राधिकरण को ठीक समय पर पेश करेगी।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव, ऐरा

सेवामें,
श्री सुहास एस, आईएएस
प्रबंध निदेशक,
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
कोच्चि हवाईअड्डा पोस्ट आफिस, नेदुम्बेस्सरी,
एर्णाकुलम, केरल- 683 111

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए

